मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3340

16.12.2024 को उत्तर के लिए

प्रवासी पक्षी

3340. श्री राहुल कस्वां:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर शीतकाल के दौरान आने वाले विभिन्न प्रवासी पक्षियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले कुछ दशकों के दौरान प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त प्रवासी पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित/उपयोग की गई निधि का स्थान-वार और राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण पर्यावास स्थान है। भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों में बत्तख, गीज़, वेडर, सारस, क्रेन, सफेद बगुला/बगुला, फ्लेमिंगों, रैप्टर, क्रेन, पेलिकन, गल्स, आदि की विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं।

(ख) और (ग) प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या का आकलन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया गया है। हालाँकि कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न प्रवासी प्रजातियों की संख्या का आकलन करते हैं।

(घ) प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण उपाय हैं:

i. प्रवासी पक्षियों के कई महत्वपूर्ण पर्यावासों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

ii. भारत में पाई जाने वाली दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रवासी पक्षी प्रजातियों, जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बार हेडेड गीज़, हिमालयन ग्रिफ़ॉन, आदि को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है, जिससे उन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

iii. प्रवासी पक्षियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण को और भी मजबूत करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) को अधिसूचित किया गया है।

iv. 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के ''बहाली कार्यक्रम' नामक एक विशिष्ट घटक को 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल किया गया है।

v.'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

vi. भारत वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन सीएमएस) का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

vii. मंत्रालय ने देश में सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 भी अधिसूचित किया है।

viii. भारत आर्द्रभूमि सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और वर्तमान में भारत में 85 आर्द्रभूमियों को 'रामसर स्थलों' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों- वन्यजीव पर्यावास विकास और बाघ एवं हाथी परियोजना के तहत प्रवासी पक्षियों सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"प्रवासी पक्षी" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3340 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसएस-वन्यजीव पर्यावासों का विकास के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा।

(₹ लाख में)

क्रम सं.	**राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (दिनांक 10.12.202 तक)**
1	अंडमान एवं निकोवार द्वीप	132.64	0	135.77	25.125	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	512.69	312.5865	419.80617	276.44062	672.462	696.546
3	असम	164.26	0	0	209.1464	565.10763	1234.4652
4	बिहार	148.142	205.1644	410.85952	0	336.37223	0
5	चंडीगढ़	0	25.16	0	21.6241	16.498	0
6	छत्तीसगढ़	310.0318	104.35936	274.5903	104.457	116.24868	135.58248
7	गोवा	111.654	0	0	0	50.10	66.44425
8	गुजरात	0	124.5849	0	200.01	206.99	0
9	हरियाणा	237.6078	18.2212	127.331	30.1575	167.85	116.4861
10	हिमाचल प्रदेश	375.76554	187.63518	197.09452	114.3205	94.15328	172.31067
11	जम्मू और कश्मीर	0	80.62863	0	0	69.57972	73.97099
12	झारखंड	93.96	198.2265	79.53315	0	14.91025	71.93619
13	कर्नाटक	739.046	586.126341	1256.59314	291.71146	581.52346	800.8205
14	केरल	845.026	731.2845	295.7737	224.4735	921.0361	909.63915
15	मध्य प्रदेश	629.266	801.60127	389.34906	265.5508	471.81959	486.77709
16	महाराष्ट्र	715.781	146.08135	0	350.3879	554.69645	622.0670
17	मणिपुर	396.455	241.11948.	142.50646	180.64379	231.72407	261.70605
18	मेघालय	238.839	263.50463	530.51253	0	243.56611	389.5938
19	मिजोरम	431.79	339.60855	198.9678	190.1977	304.207	344.3258
20	नागालैंड	953.69	260.00105	342.0315	725.6565	1306.3275	1044.063
21	ओडिशा	701.504	694.18819	726.80273	967.4976	1005.08612	882.50229

22	राजस्थान	741.315	309.12634	1007.64845	86.78886	0	0
23	सिक्किम	557.355	349.623	182.97174	239.66048	187.03237	221.17
24	तमिलनाडु	409.505	334.0354	390.75715	132.95205	373.8902	661.78722
25	तेलंगाना	0	36.59304	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	426.251	312.9244	169.06261	266.7472	290.64425	393.86725
27	उत्तराखंड	1401.19	441.61031	226.34415	212.9662	498.497	652.2470665
28	पश्चिम बंगाल	891.073	710.61953	757.25599	201.30866	385.29988	0
29	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	5.22	0
30	लक्षद्वीप	193.272	462.859	462.086	269.9055	124.655	217.185
31	त्रिपुरा	90.317	260.679	0	0	186.05514	0
32	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0	223.17292	31.95	61.11591	0.06	0
	सकल योग	**12448.4264**	**8761.32971**	**8755.59767**	**5648.84523**	**9981.61203**	**10455.4930965**

अनुलग्नक- II

"प्रवासी पक्षी" के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3340 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसएस- बाघ और हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा।

(₹ लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	2024-25 (11/12/2024 तक)
		बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	* बाघ और हाथी परियोजना	* बाघ और हाथी परियोजना
1	आंध्र प्रदेश	292.11	20.5565	0.00	0.00	149.421	365.13
2	अरुणाचल प्रदेश	869.08	157.7615	0.00	26.8875	1119.9145	629.112
3	असम	1476.75	126.716	336.22	167.4	2619.3078	2043.60467
4	बिहार	552.72	-	0.00	0.00	308.9825	126.14526
5	छत्तीसगढ़	355.85	24.785	82.88	0.00	292.855	181.581
6	हरियाणा	0.00	4.2345	0.00	17.4	26.1	20.40
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	0.00
8	झारखंड	195.06	86.682	17.26	78.05	405.785	363.778
9	कर्नाटक	2956.70	261.195	235.24	97.8453	2613.0834	783.0747
10	केरल	868.78	580.96765	417.59	270.09	996.22425	221.36725
11	मध्य प्रदेश	3523.52	12.613	1172.51	11.388	4303.794	2213.976
12	महाराष्ट्र	2991.06	-	0.00	28.524	2614.4517	1726.12193
13	मणिपुर	0.00	5.40	0.00	0.00	14.121	14.625
14	मेघालय	0.00	141.75	0.00	32.14	65.25	29.70
15	मिजोरम	374.13	-	0.00	0.00	144	247.917
16	नागालैंड	0.00	279.759	0.00	235.575	337.77	231.1425
17	ओडिशा	1056.86	567.045	190.27	212.7695	1012.587	563.401

						6	
18	राजस्थान	841.05	15.18	0.00	6.18609	968.3004	228.47223
19	तमिलनाडु	1576.22	181.8464	0.00	85.9405	2547.966 5	1450.52652
20	तेलंगाना	543.26	-	0.00	0	323.308	291.682
21	त्रिपुरा	-	-	0.00	7.36516	27.0855	10.99296
22	उत्तराखंड	1463.71	244.1237 5	0.00	18.7415	1495.524 1	1207.53
23	उत्तर प्रदेश	1304.85	45.993	0.00	9.858	1031.976 7	1381.2537
24	पश्चिम बंगाल	708.28	87.8717	0.00	30.05	522.5810 1	425.94994
		21949.99	**2844.48**	**2451.97**	**1336.211**	**23960**	**14757.48**

* केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- हाथी परियोजना और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बाघ परियोजना को आपस में मिला दिया गया है और अब इसे केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बाघ और हाथी परियोजना के रूप में जाना जाता है.

***